क़ीमत 5 रूपया

http://www.cgpi.org

आने वाले इंक़लाबी तूफ़ानों के लिये तैयारी करें!

मज़दूर एकता लहर

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केन्द्रीय कमेटी का अख़बार

ग्रंथ-37, अंक – 5 | मार्च 1–15, 2023 | पाक्षिक अख़बार | कुल पृष्ठ-6

महिलाओं की मुक्ति के संघर्ष को आगे बढ़ाएं!

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केंद्रीय समिति का बयान, 8 मार्च, 2023

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, 2023 के अवसर पर लाखों–लाखों संघर्षरत महिलाओं को सलाम करती है। हम उन मेहनतकश महिलाओं को सलाम करते हैं जो हमारे देश में निजीकरण और उदारीकरण के ख़िलाफ़ लड़ाई में सबसे आगे हैं। हम उन सभी को सलाम करते हैं जो राज्य द्वारा आयोजित सांप्रदायिक हिंसा, राजकीय आतंकवाद और महिलाओं के ख़िलाफ़ सभी प्रकार की हिंसा के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। हम यूरोप की उन महिलाओं को सलाम करते हैं जो साम्राज्यवादी युद्ध भड़काने वाले नाटो के ख़िलाफ़ सड़कों पर उतर आई हैं। हम उन सभी देशों की महिलाओं को सलाम करते हैं जो महिला और इंसान बतौर अपने अधिकारों की मांग कर रही हैं।

महिलाओं के इंसान बतौर, और नयी पीढ़ी को जन्म देने में उनकी ख़ास भूमिका के कारण, महिला बतौर अधिकार हैं। लेकिन महिलाएं पूंजीवादी शोषण और एक ऐसी क्रूर सामाजिक व्यवस्था से उत्पीड़ित हैं, जो उन्हें हमेशा निचले दर्जे के इंसानों की हालत में रखती है।

हमारे देश में महिलाएं पूंजीवादी शोषण के साथ–साथ सामंतवाद और जातिवादी व्यवस्था के अवशेषों से भी पीड़ित हैं। वे उस प्रचलित धारणा की शिकार हैं कि एक लड़की परिवार पर बोझ होती है। यह कन्या भ्रूण हत्या, लड़कियों और लड़कों के बीच भेदभाव, बाल विवाह, दहेज और ऐसी कई अन्य जघन्य प्रथाओं में प्रकट होता है। पूंजीवाद ने इन सारी जघन्य प्रथाओं को बरकरार रखा है। इन सामंती प्रथाओं और रीति–रिवाजों के अनुसार, ऐसा माना जाता है कि एक महिला का स्थान घर में है। जब किसी महिला के ऊपर काम की जगह पर, या सड़कों पर, कोई हमला होता है, तो उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने में राज्य की नाक़ामयाबी पर सवाल नहीं उठाया जाता है; इसके बजाय, यह सवाल उठाया जाता है कि वह अपने घर से बाहर क्यों गयी थी।

हमारे देश में महिलाएं पूंजीवादी शोषण के साथ–साथ सामंतवाद और जातिवादी व्यवस्था के अवशेषों से भी पीड़ित हैं। पूंजीवाद ने इन सारी जघन्य प्रथाओं को बरकरार रखा है। इन सामंती प्रथाओं और रीति–रिवाजों के अनुसार, ऐसा माना जाता है कि एक महिला का स्थान घर में है। जब किसी महिला के ऊपर काम की जगह पर, या सड़कों पर, कोई हमला होता है, तो उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने में राज्य की नाक़ामयाबी पर सवाल नहीं उठाया जाता है; इसके बजाय, यह सवाल उठाया जाता है कि वह अपने घर से बाहर क्यों गयी थी।

हिन्दोस्तान की सरकार यह दावा करती है कि वह महिलाओं को शिक्षित और सशक्त बनाने के लिए वचनबद्ध है। लेकिन हमारे देश में अधिकांश लड़कियों को स्कूल की शिक्षा पूरी करने में ही कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है – लड़कियों के लिए शौचालयों की कमी, स्कूल तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी और सुनसान रास्तों को पार करना और अन्य ऐसी हालतें जो उनके दैनिक जीवन को असुरक्षित बनाती हैं और उनके लिए यौन उत्पीड़न, बलात्कार, आदि का ख़तरा पैदा करती हैं। कामकाजी महिला बनने के बाद भी उन्हें इसी तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

हमारे देश में अधिकांश गर्भवती महिलाओं के लिए सुरक्षित प्रसव सुविधाओं की गारंटी नहीं है। एक हालिया अध्ययन में अनुमान लगाया गया है कि पिछले 20 वर्षों में लगभग 13 लाख महिलाओं की बच्चा पैदा करने के दौरान मृत्यु हो गई है।

महिलाओं के कई अधिकारों को क़ानून में मान्यता तो दी गयी है, लेकिन हक़ीक़त में उन्हें लागू नहीं किया जाता है। समान काम के लिए समान वेतन ऐसा ही एक अधिकार है। प्रसूति की छुट्टी और शिशु पालन की सुविधाओं का अधिकार ऐसा ही एक और अधिकार है। पूंजीपति मालिक महिला मज़दूरों के अधिकारों को अतिरिक्त लागत मानते हैं जो उनके मुनाफ़े में कटौती करते हैं। इसलिए पूंजीपति इन अधिकारों में कटौती करना या इन्हें पूरी तरह से हटा देना चाहते हैं। महिला मज़दूरों के

शेष पृष्ठ 2 पर

मॉडर्न फूड्स के निजीकरण के 23 साल बाद :

सरमायदारों के निजीकरण के कार्यक्रम को एकजुट होकर हराएं

फ़रवरी 2000 में, मज़दूर एकता कमेटी के नेतृत्व में मॉडर्न फूड्स इंडिया लिमिटेड के मज़दूरों ने संसद के सत्र के पहले दिन पर, नई दिल्ली में एक साहसिक विरोध प्रदर्शन किया था। वे केंद्र सरकार की मालिकी वाले मॉडर्न फूड्स को निजी बहुराष्ट्रीय कंपनी हिंदुस्तान लीवर को बेचे जाने का विरोध कर रहे थे।

मॉडर्न फूड्स के मज़दूरों के साथ कानपुर के कपड़ा मज़दूर भी प्रदर्शन में थे, जिनकी मिलें बंद होने वाली थीं और जो खुद अपनी मिलों को फिर से खोलने के लिए संघर्ष कर रहे थे। 23 साल पहले का वह संयुक्त विरोध प्रदर्शन सरमायदारों के निजीकरण के कार्यक्रम के ख़िलाफ़ हिन्दोस्तानी मज़दूर वर्ग के संघर्ष में एक महत्वपूर्ण मीलपत्थर था। आज उस संघर्ष को सबको याद करना आवश्यक है, क्योंकि हुक्मरान सरमायदार विभिन्न तरीक़ों और बहानों का इस्तेमाल करते हुए, सरकारी कारोबारों और संपत्तियों को निजी कंपनियों के हाथों बेचने के लिए तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं।

वाजपेयी की राजग सरकार ने जनवरी 2000 में दावोस में वर्ल्ड इकनोमिक समिट

की पूर्व संध्या पर, मॉडर्न फूड्स और भारत एल्युमीनियम कंपनी (बाल्को) को बेचने के निर्णय की घोषणा की थी। उस घोषणा के ज़रिये हिन्दोस्तानी हुक्मरान वर्ग ने दुनिया के सामने ऐलान किया था कि वह हिन्दोस्तानी और विदेशी इजारेदार पूंजीपतियों के हित में सरकारी कारोबारों और सेवाओं के निजीकरण का रास्ता अपनाने पर वचनबद्ध है।

उस घोषणा से पहले, देवगौड़ा की संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा स्थापित विनिवेश आयोग ने सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को रणनीतिक (रक्षा, परमाणु ऊर्जा, रेल परिवहन, दूरसंचार आदि), कोर (पेट्रोलियम, कोयला, इस्पात, आदि) और अन्य इकाइयों में वर्गीकृत किया था। सरकार ने कहा था कि केवल उन इकाइयों का निजीकरण किया जाएगा, जिन्हें कोर या रणनीतिक नहीं माना गया था। सार्वजनिक क्षेत्र के कारोबारों को इस तरीक़े से वर्गीकृत करने का उद्देश्य था निजीकरण कार्यक्रम के वास्तविक उद्देश्य को छुपाना और यह ग़लत–फ़हमी पैदा करना कि निजीकरण सभी के हित के लिए है।

जब मॉडर्न फूड्स को बिक्री के लिए रखा गया था, तब तत्कालीन सरकार ने घोषणा की थी कि "रोटी बनाना सरकार का काम नहीं है"। बीस साल बाद, सरकार ने सभी सार्वजनिक क्षेत्र के कारोबारों को बिक्री के लिए रख दिया है, यह घोषणा करते हुए कि "व्यवसाय चलाना सरकार का काम नहीं है"।

कई केंद्रीय ट्रेड यूनियन फेडरेशनों के नेताओं ने 2000 में मॉडर्न फूड्स के निजीकरण को स्वीकार कर लिया था। उन्होंने सरमायदारों के उस प्रचार से

शेष पृष्ठ 5 पर

अंदर पढ़ें

- पाठकों की प्रतिक्रिया 2
- काम की हालतों पर बैठक 3
- पूंजीवादी रास्ते का परिणाम बढ़ती इजारेदारी 4
- महाराष्ट्र सरकार के मज़दूरों की हड़ताल की घोषणा 5

महिलाओं की मुक्ति का संघर्ष

पृष्ठ 1 का शेष

अधिकारों का हनन करने वाले पूंजीपतियों को राज्य कोई सज़ा नहीं देता है।

सभी पूंजीवादी देशों में सरमायदार शासक वर्ग समाज में महिलाओं के दमन और निचले दर्जे के स्रोत के बारे में ढेर सारे भ्रम फैलाते हैं। उनका कहना है कि प्राचीन काल से, हर समाज में महिलाओं का हमेशा दमन होता रहा है, और इसलिए ऐसा होता रहेगा, क्योंकि यही कुदरत का नियम है। वे यह धारणा फैलाते हैं कि समस्या का स्रोत पुरुषों में है। वे इसे महिलाओं और पुरुषों के बीच की लड़ाई के रूप में पेश करते हैं। वे इस भ्रम को बढ़ावा देते हैं कि विभिन्न नीतिगत क़दमों और सरकारी कार्यक्रमों के ज़रिये महिलाएं पूंजीवादी व्यवस्था के अन्दर ही, अपनी समस्याओं से मुक्ति हासिल कर सकती हैं।

सच्चाई यह है कि समाज में महिलाओं के निचले दर्जे की शुरुआत तब हुयी जब समाज वर्गों में बंट गया। जब तक मज़दूर समाज में एक शोषित वर्ग बना रहेगा, तब तक महिलाएं उत्पीड़ित रहेंगी। इस बात को 100 से अधिक साल पहले, उत्तरी अमरीका और यूरोप में महिला मज़दूरों के नेताओं ने समझ लिया था। उस समय महिला मज़दूरों के कम्युनिस्ट नेताओं ने घोषणा की थी कि महिलाओं की मुक्ति का रास्ता समाज को पूंजीवाद से समाजवाद में बदलने के संघर्ष में है। कम्युनिस्ट महिलाओं की पहल पर, 1910 में पहली बार, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय मेहनतकश महिला दिवस के रूप में मनाया गया था।

सोवियत रूस और पूर्वी यूरोप के कई देशों में समाजवाद की स्थापना और प्रगति के चलते, उत्पादन के साधनों को सामाजिक संपत्ति में बदलकर, मानव श्रम के शोषण को ख़त्म करने की हालतें तैयार की गयी थीं। इसकी वजह से, सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी के स्तर में जबरदस्त प्रगति देखने में आई थी। समाजवादी राज्य ने क्रेच, नर्सरी और अन्य सुविधाएं स्थापित करने की ज़िम्मेदारी ली थी, जिनके ज़रिये घरेलू काम के बोझ को कम किया गया था। महिलाओं और बच्चों की विशेष स्वास्थ्य–संबंधी ज़रूरतों की देखभाल के लिए हर इलाके में अस्पताल और चिकित्सा सुविधाएं स्थापित की गयी थीं। समाजवादी देश महिला डॉक्टरों, इंजीनियरों, शिक्षकों, कुशल श्रमिकों और उच्च योग्यता के वैज्ञानिक और तकनीकी कर्मियों की अपनी विशाल ताक़त के लिए मशहूर हुए।

समाजवाद की प्रगति ने दुनिया के सभी देशों पर जबरदस्त असर डाला। उसने सभी सरकारों को, कम से कम बातों में ही, इस असूल को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया कि महिलाओं को पुरुषों के समान आर्थिक और राजनीतिक अधिकार मिलने चाहियें, जिनमें चुनने और चुने जाने का अधिकार भी शामिल होना चाहिए। परन्तु मानव श्रम के शोषण के ज़रिये निजी मुनाफ़े को अधिकतम करने का पूंजीपतियों का उद्देश्य ही अर्थव्यवस्था की प्रेरक शक्ति बनी हुयी है, इसलिए दोनों महिला और पुरुष मज़दूरों के ज्यादातर अधिकार सिर्फ कागज़ों पर ही लिखे हुए रह गए हैं। ज़मीनी तौर पर उनका हनन होता रहता है। इन अधिकारों को लागू करने के लिए वर्तमान व्यवस्था के अन्दर कोई तंत्र नहीं हैं।

कई राजनीतिक पार्टियां व संगठन इस धारणा को बढ़ावा देते हैं कि अगर आधिकारिक पदों पर ज्यादा संख्या में महिलाएं होंगी तो महिलाओं की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन जीवन के अनुभव ने दिखाया है कि उच्च पदों पर अधिक महिलाओं के होने से आर्थिक व्यवस्था की पूंजीवादी प्रकृति नहीं बदलती है। इससे महिलाओं और पुरुषों, दोनों का क्रूर शोषण और मज़दूरों के अधिकारों का घोर हनन समाप्त नहीं होता है। यह राज्य के दमनकारी स्वभाव या राजनीतिक प्रक्रिया के जन–विरोधी चरित्र को नहीं बदलता है।

मौजूदा राजनीतिक प्रक्रिया अधिकतम महिलाओं और पुरुषों को अपने जीवन को प्रभावित करने वाले फ़ैसलों को लेने से वंचित करती है। समय–समय पर चुनाव करवाकर, इजारेदार पूंजीवादी घरानों की अगुवाई में पूंजीपति वर्ग की अमीरी बढ़ाने के उसी एजेंडे को लागू करने के लिए, कोई न कोई राजनीतिक पार्टी सत्ता में आती है।

कई राजनीतिक पार्टियां व संगठन इस धारणा को बढ़ावा देते हैं कि अगर आधिकारिक पदों पर ज्यादा संख्या में महिलाएं होंगी तो महिलाओं की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन जीवन के अनुभव ने दिखाया है कि उच्च पदों पर अधिक महिलाओं के होने से आर्थिक व्यवस्था की पूंजीवादी प्रकृति नहीं बदलती है। इससे महिलाओं और पुरुषों, दोनों का क्रूर शोषण और मज़दूरों के अधिकारों का घोर हनन समाप्त नहीं होता है। यह राज्य के दमनकारी स्वभाव या राजनीतिक प्रक्रिया के जन–विरोधी चरित्र को नहीं बदलता है।

पिछले 30 से अधिक वर्षों से, हुक्मरान वर्ग उदारीकरण और निजीकरण के ज़रिये भूमंडलीकरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है। बार–बार किये गए चुनावों से उसमें कोई फ़र्क़ नहीं पड़ा है। प्रतिस्पर्धी राजनीतिक पार्टियों ने एक दूसरे की जगह ले ली है और नारे बदल गए हैं; लेकिन एजेंडा वही चलता रहा है। इसका लक्ष्य वही रहा है – बहुसंख्यक मेहनतकश महिलाओं और पुरुषों के तीव्र शोषण और उत्पीड़न के ज़रिये इजारेदार पूंजीपतियों के निजी मुनाफ़े को अधिकतम करना।

आर्थिक हमलों के साथ–साथ राजनीति का अपराधीकरण और साम्प्रदायिकीकरण भी होता जा रहा है। लड़कियों और जवान महिलाओं के ख़िलाफ़ क्रूर अपराध बहुत बढ़ रहे हैं तथा ज्यादा से ज्यादा बर्बर होते जा रहे हैं। जनता का प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाली पार्टियां खुद महिलाओं के ख़िलाफ़ बेहद जघन्य अपराधों की दोषी रही हैं।

चंद शोषकों और उनकी अपराधी पार्टियों के हाथों में राजनीतिक सत्ता के एकाधिकार को समाप्त करना ही वह पहला और आवश्यक क़दम है, जिससे गहन क्रांतिकारी परिवर्तनों के लिए रास्ता खुल सकता है। महिलाओं और सभी मेहनतकश लोगों को अपने हाथों में राजनीतिक सत्ता लेने की ज़रूरत है, ताकि वे एजेंडा निर्धारित कर सकें और अपनी हालतों को बदल सकें। उत्पादन के साधनों पर पूंजीपतियों की निजी मालिकी को ख़त्म करने और उन्हें सामाजिक संपत्ति में बदलने की ज़रूरत है, ताकि अर्थव्यवस्था को पूंजीपतियों की लालच के बजाय लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने की दिशा में चलायी जा सके।

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी महिलाओं का आह्वान करती है कि वे सभी शोषितों और उत्पीड़ितों के साथ एकजुट हों और उदारीकरण व निजीकरण के ज़रिये भूमंडलीकरण के मज़दूर–विरोधी, महिला–विरोधी और समाज–विरोधी कार्यक्रम को ख़त्म करने के लिए संघर्ष करें। आइए, हम सांप्रदायिक हिंसा और सभी प्रकार के राजकीय आतंकवाद के ख़िलाफ़ संघर्ष तथा अपने लोकतांत्रिक अधिकारों और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष को आगे बढ़ाएं। आइए, हम एक ऐसे राज्य और आर्थिक व्यवस्था की स्थापना करने के उद्देश्य से लड़ें, जो सभी के लिए सुख और सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। आइए, हम एक ऐसी व्यवस्था के निर्माण के लक्ष्य के साथ संघर्ष करें, जिसमें लिंग, जाति, वर्ग या किसी अन्य आधार पर कोई शोषण, दमन या भेदभाव न हो।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ज़िंदाबाद!
सभी प्रकार के शोषण, दमन और भेदभाव से मुक्ति के लिए एकजुट होकर संघर्ष करें!

http://hindi.cgpi.org/23153

पाठकों की प्रतिक्रिया

सुरक्षा संबंधित श्रम संहिता

संपादक महोदय,

काम की जगह पर स्वास्थ्य, सुरक्षा और काम की हालतों पर श्रम संहिता (ओ.एच.एस.डब्ल्यू. संहिता) के लेख के बारे में कुछ विचार रखना चाहती हूं। काम की जगह पर स्वास्थ्य, सुरक्षा और काम की हालतों पर श्रम संहिता (ओ.एच.एस.डब्ल्यू. संहिता) उन चार श्रम संहिताओं में से एक है, जिसे सरकार ने श्रम क़ानूनों को सरल बनाने के नाम पर संसद में पारित किया था।

संसद द्वारा इसे बिना किसी चर्चा के पारित कर दिया गया और 28 सितंबर, 2020 को एक क़ानून के रूप में लागू कर दिया गया था। ऐसे क़ानून बनाने से पहले कहीं भी चर्चा नहीं की जाती, बल्कि इसे थोप दिया जाता है।

ओ.एच.एस.डब्ल्यू. संहिता मज़दूरों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान पर खुल्लम–खुल्ला हमला है। कई सालों के अथक संघर्ष से मज़दूर वर्ग ऐसे क़ानून को बनवाने में सफल हुआ था, जो मज़दूरों के कुछ हिस्सों के लिए काम करने की हालतों में कुछ सुधार करने में सक्षम थे।

इन क़ानूनों के बावजूद भी मज़दूरों को ऐसी परिस्थितियों में काम करने के लिए मज़बूर किया जाता है जो बहुत ही भयानक हैं। हर साल काम करने के दौरान हजारों मज़दूरों की जान चली जाती है, लाखों घायल हो जाते हैं। और कुछ तो ऐसी परिस्थितियों में काम करते हैं जिनसे उन्हें जानलेवा बीमारियां हो जाती हैं और समय से पहले ही वे मौत के मुंह में समा जाते हैं।

ओ.एच.एस.डब्ल्यू. संहिता मज़दूरों के लिए सुरक्षित काम की हालतों को सुनिश्चित करने के लिए राज्य द्वारा ठोस क़दम उठाए जाने के बिल्कुल उल्टा है। इस कोड में दस से कम मज़दूरों को रोज़गार देने वाले संस्थानों और 20 से कम मज़दूरों को रोज़गार देने वाले कारखानों को इस क़ानून के दायरे से बाहर रखा गया है। जो ठेकेदार 50 से कम मज़दूरों को नौकरी पर रखते हैं, उनको ओ.एच.एस.डब्ल्यू. अधिनियम के तहत पंजीकरण करने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें नौकरी पर रखे गए मज़दूरों की संख्या का रिकार्ड तक रखने की ज़रूरत नहीं है। इस क़ानून के तहत ट्रेड यूनियन और मज़दूर संगठन, सुरक्षा उपायों का उल्लंघन करने वाले कार्यस्थलों के निरीक्षण की मांग नहीं कर सकते हैं। यह अधिनियम कामकाजी महिलाओं पर बहुत बड़ा हमला है। महिलाएं जहां रात की पाली में काम करती हैं जैसे कि अस्पताल, एयरलाइंस आदि में, वहां पर आने और जाने के समय सुरक्षा मुहैया कराना अनिवार्य होना चाहिए। लेकिन यह संहिता महिला सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं देता है। न तो काम की जगह पर और न ही आने–जाने के रास्ते में। बल्कि यह तो स्वेच्छा के नाम पर महिलाओं के लिए रात में बिना सुरक्षा की गारंटी के काम करने को क़ानूनी रूप प्रदान करता है। जहां दिन के समय महिलाओं को यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ का सामना करना पड़ता है तो रात के समय क्या होगा, यह सोचने से भी डर लगता है। जिसकी शिकायत भी नहीं की जा सकेगी।

हमेशा से यह मांग रही है कि मज़दूर, चाहे वह महिला, पुरुष, नौजवान, किसान या कोई और हो, जहां भी वह काम करता हो उसे सुरक्षित काम की हालतें दी जाएं। जिसमें पीने का साफ़ पानी, स्वच्छ शौचालय, खाना खाने के लिए उचित जगह, आदि मुहैया कराई जाएं। लेकिन एक के बाद एक सरकारें बदली हैं लेकिन हालतों में कोई बदलाव नहीं होता है बल्कि आवाम को धोखा ही मिलता है। सुरक्षित काम की हालतों को पाने का एक ही रास्ता है – अपनी एकता को मजबूत करना होगा, आवाम पर हो रहे चौतरफा हमलों के ख़िलाफ़ मज़दूर वर्ग की चेतना को बढ़ाना होगा और एक ऐसे राज्य के निर्माण के लिए संघर्ष करना होगा जहां नीतियां, क़ानून, अर्थव्यवस्था लोगों के हित में चलाये जाएंगे।

मानसी, दिल्ली

काम की जगह पर सुरक्षा, स्वास्थ्य व काम करने की हालतों पर बैठक

फ़रवरी के महीने में तोड़िलालर ओट्टुमई इयक्कम (मज़दूर एकता आंदोलन) ने " काम की जगह पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की हालतों पर संहिता (ओ.एस.एच.डब्ल्यू.) – मज़दूरों के अधिकारों पर हमला" विषय पर तमिलनाडु में एक बैठक आयोजित की। बैठक को संबोधित करने वालों में शामिल थे – तोड़िलालर ओट्टुमई इयक्कम के कॉमरेड भास्कर, सोशलिस्ट वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन के संयोजक कॉमरेड कुमानन, 108 एंबुलेंस वर्कर्स यूनियन के स्टेट जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड राजेंद्रन, यूनाइट ट्रेड यूनियन ऑफ आईटी वर्कर्स के जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड अलाजघुनाम्बी वेल्किन, महिला कर्मचारी संघ की अध्यक्ष कॉमरेड सुजाता मोदी और तमिलनाडु एम.आर.बी. नर्स वेलफेयर यूनियन के महासचिव कॉमरेड एन. सुबिन।

कॉमरेड भास्कर ने सभी सहभागियों का स्वागत किया। उन्होंने समझाया कि तोड़िलालर ओट्टुमई इयक्कम मज़दूर वर्ग की एकता को बनाने और उसकी वर्ग चेतना को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह संगठन, निजीकरण और मज़दूर–विरोधी श्रम संहिताओं के ख़िलाफ़ बैठकों की एक श्रृंखला आयोजित कर रहा है। इसी श्रृंखला में आज एक और बैठक आयोजित की गयी है।

तोड़िलालर ओट्टुमई इयक्कम की ओर से कॉमरेड भास्कर ने ओ.एस.एच. डब्ल्यू. संहिता और मज़दूरों के अधिकारों पर पड़ने वाले इसके भयानक कुप्रभावों पर एक प्रस्तुति पेश की। उन्होंने यूनियन कार्बाइड गैस रिसाव, स्टरलाइट व कई अन्य घटनाओं को याद किया। उन्होंने बताया कि खदानों के धंसने से मज़दूरों का दबकर मर जाना, भट्टियों के फटने से मज़दूरों की मौत आदि आज आम बात हैं। उन्होंने बताया कि पूंजीपतियों की लालच को पूरा करने के लिए, मज़दूरों या उनकी ट्रेड यूनियनों से परामर्श लिए बिना ही इस संहिता को अधिनियमित कर दिया गया। "श्रम–क़ानूनों को सरल बनाने" से इसका कोई लेना–देना नहीं है, जैसा कि सरकार दावा कर रही है।

कार्यस्थलों पर मौजूद असुरक्षित हालतों के कारण हजारों मज़दूरों की मृत्यु हो जाती है। हर साल लाखों मज़दूर घायल या अपाहिज हो जाते हैं। इन दुर्घटनाओं से प्रभावित मज़दूरों को बिना किसी मुआवज़े के काम से निकाल दिया जाता है। कई उद्योगों में मज़दूर हमेशा ख़तरनाक परिस्थितियों के संपर्क में काम करते हैं जिसका उनके स्वास्थ्य पर पड़ने वाला दुष्प्रभाव बाद में सामने आता है। ओ.एस.एच.डब्ल्यू. संहिता सभी मज़दूरों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा करने की बजाय, बहुत बड़ी संख्या में मज़दूरों को इस संहिता के दायरे से बाहर कर देता है। वे सब मज़दूर जो छोटे कारखानों में या ठेके पर काम करते हैं, इस संहिता के दायरे में नहीं आते। इसी तरह आईटी कर्मचारी, डिलीवरी वर्कर, टैक्सी ड्राइवर, गिग वर्कर आदि को इस अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है।

सरकार ने कारखानों के निरीक्षण के लिए कारखाना–निरीक्षकों को भेजना बंद कर दिया है। कारखाने के मालिकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे स्वयं प्रमाणित करें कि वे आवश्यक सुरक्षा नियमों का पालन कर रहे हैं। यदि मज़दूरों को कोई

काम की जगह पर सुरक्षा की मांग को लेकर मई 2022 को दिल्ली में प्रदर्शन (फाइल फोटो)

शिकायत है, तो उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे स्वयं कारखाने के मालिक से संपर्क करें! ओ.एस.एच.डब्ल्यू. संहिता, कार्यस्थल पर या काम पर आने–जाने में महिला मज़दूरों की सुरक्षा की गारंटी के बिना, उन्हें रात की पाली में काम करने को वैध बनाता है। अधिनियम के तहत कवरेज़ की शर्त के रूप में, एक औद्योगिक प्रतिष्ठान या कार्यस्थल में काम करने वाले मज़दूरों की संख्या पर एक उच्च सीमा निर्धारित की गई है। इसमें बड़ी संख्या में ठेका–मज़दूरों, प्रवासी और असंगठित क्षेत्र के मज़दूरों को इस संहिता के दायरे से बाहर रखा गया है। इस अधिनियम ने महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रावधानों को अब हटा दिया है, जिनके लिए निर्माण उद्योग, बंदरगाहों और डॉक्स, समाचार पत्र उद्योग, खदानों आदि के मज़दूरों ने जबरदस्त संघर्ष किया था और उन सभी प्रावधानों को लागू कराने में सफल रहे थे।

हमें स्वस्थ और सुरक्षित काम करने की हालतों को सुनिश्चित करने के लिए अपने संघर्ष को और तेज़ करने की ज़रूरत है। हमें ऐसे क़ानून की मांग करनी चाहिए जो सभी मज़दूरों के लिए कार्यस्थल पर सुरक्षित और स्वस्थ परिस्थितियों की गारंटी देता हो। हमें इन सब क़ानूनों को लागू करने के लिए एक कारगर तंत्र को स्थापित करने के लिए लड़ना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ कॉमरेड भास्कर ने अपनी प्रस्तुति समाप्त की।

कॉमरेड कुमानन ने कहा कि वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में मज़दूरों को अपने अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। इस तरह के मज़दूर–विरोधी क़ानून को लाने में न सिर्फ़ भाजपा, बल्कि कांग्रेस और अन्य राजनीतिक पार्टियों की भूमिका भी है। श्रम के शोषण को तेज़ करने, मौजूदा श्रम क़ानूनों को और कमजोर करने और पूंजीपति वर्ग के मुनाफ़े को बढ़ाने के लिए ही, ये चार श्रम संहिताएं बनाई गई हैं। इस श्रम संहिता ने छोटे कारखानों में काम करने वाले मज़दूरों को जो कि मज़दूर वर्ग का बहुत बड़ा हिस्सा हैं, उनको इसके दायरे से बाहर कर दिया है। इस श्रम संहिता ने मज़दूरों के दैनिक काम के घंटे बढ़ाने के लिए भी हालात तैयार किये हैं। सरकार ने यह भी घोषणा की है कि कारखाने में सुरक्षा मानदंडों की जांच करने के लिये अब वह कारखाना निरीक्षकों को नहीं भेजेगी। उन्होंने बताया कि इस तरह से इन मज़दूर–विरोधी प्रावधानों के ज़रिये अधिनियम ने मज़दूर वर्ग के अधिकारों का क्रूर हनन किया है।

कॉमरेड कुमानन ने अपने वक्तव्य के अंत में यह निष्कर्ष निकाला कि यदि हम मज़दूर राजनीतिक सत्ता को अपने हाथ में ले लें तो पूंजीपतियों के हितों की जगह मज़दूरों के हितों की रक्षा की जा सकती है।

कॉमरेड राजेंद्रन ने एंबुलेंस कर्मियों की स्थिति पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि 108 एंबुलेंस कर्मचारी हर दिन लगातार 12–18 घंटे काम करते हैं। तमिलनाडु के सरकारी अस्पतालों में 47,000 से अधिक मेडिकल सपोर्ट स्टाफ की आवश्यकता है। सरकार 36,000 मज़दूरों को नौकरी दिए जाने का दावा करती है, जबकि वास्तव में केवल 27,000 मज़दूर ही काम कर रहे हैं। इनमें कई महिला कर्मचारी हैं, जिनके लिए न तो विश्राम कक्ष उपलब्ध हैं और न ही पीने का पानी। उन्हें अपने काम से साप्ताहिक छुट्टी तक भी नहीं मिलती। नर्सों को अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया जाता है, हालांकि लोगों की स्वास्थ्य देखभाल के लिए उनकी सेवाएं अत्यंत आवश्यक हैं! उन्हें अक्सर बिना आराम किये लगातार 24 घंटे काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। ओ.एस.एच.डब्ल्यू. संहिता, मज़दूरों के अधिकारों की रक्षा करने के बजाय, अधिकारों की रक्षा से और भी अधिक इंकार कर रही है।

कॉमरेड राजेंद्रन ने शहीद भगत सिंह के बताये हुए रास्ते पर चलने की वकालत की। इस दृष्टिकोण से कि मज़दूर वर्ग को राजनीतिक सत्ता अपने हाथों में लेनी है, उन्होंने हमारे अपने संघर्षों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया।

आईटी वर्कर्स यूनियन के जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड अलज्घू नंबी वेल्किन ने इस क्षेत्र से जुड़े मज़दूरों की स्थिति के बारे में बताया। इस क्षेत्र से जुड़े मज़दूरों का अत्यधिक शोषण करके आईटी कंपनियां भारी मुनाफ़ा कमा रही हैं। आईटी एक ज्ञान आधारित उद्योग है। इसलिए इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों पर अपने तकनीकी कौशल को लगातार उन्नत करने का जबरदस्त दबाव है। वहीं, इस क्षेत्र की कंपनियां अपने आईटी मज़दूरों के मानसिक स्वास्थ्य पर कोई ध्यान नहीं देती हैं। आईटी मज़दूर ज्यादा से ज्यादा समय तक काम करने के लिये मजबूर हैं। आईटी पेशेवरों के काम का आकलन करने के नाम पर समय–समय पर उनके काम की गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जाता है। इन मूल्यांकनों में पारदर्शिता की पूरी तरह से कमी होती है।

मूल्यांकन प्रणाली और उनकी पदोन्नति तय करने में जाति, धर्म और भाषा के आधार पर भेदभाव होता है।

आईटी मज़दूरों की नौकरी की सुरक्षा भी नहीं होती, इसलिये नौकरी से निकाले जाने का डर उन पर हमेशा मंडराता रहता है। कॉमरेड वेल्किन ने बताया कि उनकी यूनियन ने आईटी कंपनियों के प्रबंधन को अनेक सुझाव दिए हैं कि कैसे आईटी मज़दूरों के हितों की रक्षा की जाए, लेकिन प्रबंधन के साथ–साथ नैसकॉम द्वारा भी इनकी अनदेखी की गई है। उनका ध्यान केवल अधिक मुनाफ़ा कमाने पर केंद्रित है और उन्हें मज़दूरों के कल्याण की कोई परवाह नहीं है। अंत में उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि ओ.एस.एच.डब्ल्यू. संहिता आईटी मज़दूरों के काम की परिस्थिति को और भी बदतर बना देगी।

महिला कर्मचारी संघ की अध्यक्ष कॉमरेड सुजाता मोदी ने कहा कि सभी क्षेत्रों के मज़दूर और विशेष रूप से महिला मज़दूर वर्तमान व्यवस्था की मार झेल रहे हैं। पूंजीपतियों और ठेकेदारों द्वारा निर्धारित, उत्पादन के बड़े लक्ष्यों को पूरा करने के लिए गारमेंट मज़दूरों को बिना किसी आराम के कई घंटों तक लगातार काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। उन्हें बेरहमी से प्रताड़ित किया जाता है। महिला मज़दूरों के साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया जाता है। काम की जगहों पर हिंसा और आतंक का बोलबाला होता है। मज़दूरों की रक्षा के लिए तैनात किये गये, श्रम विभाग के अधिकारियों की पूंजीपतियों के साथ मिलीभगत होती है और जो मज़दूरों की सुरक्षा की बजाय उन्हें आतंकित करते हैं। श्रम समझौता कमेटियां कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न के मामलों को नहीं उठाना चाहती हैं। महिला कर्मियों से कहा जाता है कि वे अपनी शिकायतें राज्य महिला आयोग के पास ले जाएं।

जब कार्य स्थल पर दुर्घटनाएं होती हैं, तो दुर्घटना से प्रभावित मज़दूरों को नौकरी से निकाल दिया जाता है। हालांकि हिन्दोस्तान में वस्त्र उद्योग पिछले 30 वर्षों से लगातार बढ़ रहा है, सरकार के पास काम के माहौल से उत्पन्न, मज़दूरों की स्वास्थ्य समस्याओं पर कोई विश्लेषण या डेटा तक नहीं है। मज़दूरों के लिए काम की जगह पर सुरक्षा और स्वास्थ्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण चिंता का मुद्दा है। सरकार द्वारा लाई गई नई ओ.एस.एच. डब्ल्यू. संहिता पूंजीपतियों के पक्ष में है। इससे मज़दूरों की समस्या का समाधान नहीं होगा। हमें चार श्रम संहिताओं का विरोध करना होगा और यह मांग करनी होगी कि मज़दूरों के अधिकारों की रक्षा की जाए। कॉमरेड सुजाता ने बैठक में भाग लेने वाले सभी सहभागियों को आश्वासन दिया कि महिला श्रमिक संघ अन्य संगठनों के साथ मिलकर श्रम संहिताओं का विरोध करने और कार्यस्थल पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जबरदस्त संघर्ष करेगा।

कॉमरेड सुबिन ने तमिलनाडु के सरकारी अस्पतालों में काम करने वाली नर्सों की भयानक और शोषणकारी कार्य स्थिति के बारे में बताया। नर्स यूनियन के नेतृत्व में नर्सों के लगातार संघर्षों के कारण उनके वेतन में अब कुछ वृद्धि हुई है। ग्रामीण प्राथमिक अस्पतालों में संविदा (कॉन्ट्रैक्ट) नर्सों को लगातार 24 घंटे काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। इन संविदा नर्सों को नौकरियों की असुरक्षा का और अधिकारियों द्वारा किये जा रहे उत्पीड़न का लगातार सामना करना पड़ता है।

सरकार के अपने आंकड़ों के मुताबिक, नर्सों के 50 फीसदी से भी कम पद भरे गए हैं। नर्सों की इस जबदस्त कमी के कारण

शेष पृष्ठ 6 पर

विकास के पूंजीवादी रास्ते का परिणाम बढ़ती इजारेदारी

हिन्दोस्तानी अरबपतियों की बढ़ती संख्या और उनकी बेतहाशा बढ़ती दौलत को सरमायदारी मीडिया इस तरह पेश करता है जैसे कि यह अपने देश के लोगों के लिए गर्व की बात है। खुद सरमायदारी मीडिया बढ़ते तौर पर कुछेक बड़ी इजारेदार कंपनियों के नियंत्रण में आता जा रहा है। पूंजीवादी विकास के चलते मज़दूरों और किसानों की परेशानियां तेज़ी से बढ़ती हैं। परन्तु इसे तेज़ी से होने वाले आर्थिक विकास को हासिल करने के लिए एक "आवश्यक बलिदान" के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

हिन्दोस्तानी अर्थव्यवस्था की तीव्र वृद्धि का परिणाम है कि देश के सबसे बड़े इजारेदारों की धन–संपत्ति तेज़ी से बढ़ रही है। जिसे वास्तविक मज़दूरी में गिरावट करके और मज़दूरों, किसानों की आजीविका को और भी अधिक असुरक्षित बनाकर हासिल किया गया है। इसे हासिल करने के लिये बड़ी संख्या में छोटे और सूक्ष्म कारोबारों और लाखों स्वनियोजित निर्माताओं व खुदरा विक्रेताओं को नष्ट किया गया है।

आज, हिन्दोस्तान की 20 सबसे बड़ी कंपनियों का देश के पूरे कॉर्पोरेट क्षेत्र के मुनाफ़े में 75 प्रतिशत हिस्सा है, जबकि एक दशक पहले यह लगभग 45 प्रतिशत था। यह अनुपात साल दर साल बढ़ता रहता है। आज अधिकांश क्षेत्रों में शीर्ष दो कंपनियों का मुनाफ़ा उनके क्षेत्र की सभी कंपनियों के मुनाफ़े का 85 प्रतिशत है। देश में सकेंद्रण और इजारेदारी की गति तब स्पष्ट हो जाती है जब हम देखते हैं कि 1992–93 में शीर्ष 20 कंपनियों का हिस्सा कुल मुनाफ़े का केवल 15 प्रतिशत था।

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सी.एम.आई.ई.) के पिछले 20 वर्षों के आंकड़े उपरोक्त प्रवृत्ति की पुष्टि करते हैं। 2000–01 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स 30 में शामिल कंपनियों का सभी सूचीबद्ध कंपनियों के कर–पश्चात मुनाफ़े (पी.ए.टी.) का 35 प्रतिशत हिस्सा था। यह तेज़ी से बढ़कर 2019–20 में 75 प्रतिशत हो गया (चित्र 1 में देखें)।

आज, कई प्रमुख क्षेत्रों में मुनाफ़े के हिस्से और पूंजी के संकेंद्रण का बहुत ऊंचा स्तर देखा जाता है। एक या दो कंपनियां प्रत्येक क्षेत्र में उत्पन्न मुनाफ़े का 80 प्रतिशत हिस्सा लेती हैं।

बेबी फूड मार्केट में अकेली नेस्ले कंपनी के मुनाफ़े की हिस्सेदारी इस क्षेत्र की कंपनियों के कुल मुनाफ़े का 85 प्रतिशत है। इसी तरह सिगरेट में आई.टी.सी. की 77 प्रतिशत, चिपकाने वाले पदार्थों के खंड में पिडिलाइट की 70 प्रतिशत, केश तेल में बजाज की 60 प्रतिशत और पेंट के बाज़ार में एशियन पेंट्स की 40 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

मोबाइल डेटा और टेलीफोन में जियो और एयरटेल की इजारेदारी के हानिकारक प्रभावों का अनुभव, देश के लोग पहले से ही कर रहे हैं। इसी तरह की इजारेदारी खुदरा और गैर–बैंकिंग वित्तीय क्षेत्रों में उभर रही है।

वाणिज्यिक हवाई यातायात का एक चौथाई, अदानी समूह द्वारा चलाए जा रहे हवाई अड्डों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यह समूह देश के कुछ सबसे बड़े समुद्री बंदरगाहों और हवाई अड्डों का मालिक है। देश का लगभग 30 प्रतिशत खाद्यान्न भंडार उसके गोदामों में जमा है।

अब इजारेदारी की यह प्रवृत्ति अधिक विखंडित क्षेत्रों में फैल रही है जहां अब तक बाज़ार और मुनाफ़ों का बड़ा हिस्सा छोटी और मध्यम इकाइयों के पास था। 2016 की नोटबंदी और 2017 में जी.एस.टी. की शुरुआत के कारण बड़ी संख्या में छोटी और सूक्ष्म इकाइयां बंद हो गईं, जिससे उपरोक्त इजारेदारी की प्रवृत्ति में तेज़ी आई। इन दोनों क़दमों की वजह से, पूरे देश में वितरण के अपने विशाल नेटवर्क का लाभ उठाकर इजारेदारी कंपनियों ने बाज़ार में अपनी हिस्सेदारी और मुनाफ़ों में वृद्धि की।

पूंजीवाद के विकास के साथ, वित्तीय क़र्ज़, जिस पर पहले क्षेत्रीय पूंजीपतियों का प्रभुत्व था, अब एच.डी.एफ.सी. और एच.डी.एफ.सी. बैंक जैसी कुछ बड़ी सर्व–हिन्द इजारेदारी कंपनियां मैदान में उतर गयी हैं। इन दोनों क़र्ज़दाताओं ने पिछले 10 वर्षों में मुनाफ़ा कमाने वाली शीर्ष 20 कंपनियों की सूची में प्रवेश किया है।

इजारेदार कंपनियों को सस्ते में क़र्ज़ मिलने से, प्रतिस्पर्धा को कुचलने और अपने हाथों में और ज्यादा पूंजी केंद्रित करने में मदद मिलती है। इजारेदारी जितनी बड़ी होगी, उसके लिए पूंजी उतनी ही सस्ती होगी। वैश्वीकरण की वजह से क़र्ज़ पर सबसे कम ब्याज दरें लेने वाले देशों से पूंजी प्राप्त करने में

चित्र 1 : सभी सूचीबद्ध कंपनियों के मुकाबले शीर्ष 20 कंपनियों का कर पश्चात मुनाफ़ा (पी.ए.टी.)

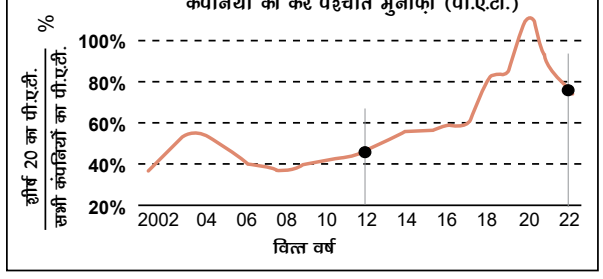

वे कंपनियां सक्षम हो गयी हैं। जहां अडानी समूह की बात है, उसने अपने 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक के कुल क़र्ज़ का लगभग तीन चौथाई हिस्सा विदेशों से लिया हुआ है।

हिन्दोस्तान की सबसे ज्यादा मुनाफ़ा (कर पश्चात मुनाफ़ा, पी.ए.टी.) कमाने वाली 20 कंपनियां दो विस्तृत श्रेणियों में आती हैं। एक है निजी क्षेत्र की इजारेदार कंपनियां, जो दुनियाभर से सबसे सस्ते स्रोतों से पूंजी प्राप्त करने में सक्षम हैं, जैसे कि रिलायंस (मुकेश अंबानी की), टाटा, अदानी, एच.डी.एफ.सी. समूह, आदि और दूसरी हैं सार्वजनिक क्षेत्र की बड़ी इकाइयां (पी.एस.यू.) जिन्हें अप्रत्यक्ष सरकारी संप्रभु गारंटी होने की वजह से कम लागत पर पूंजी प्राप्त होती है।

छोटी कंपनियों की पहुंच पूंजी के इन दोनों स्रोतों तक नहीं है। इसके चलते अब इन छोटी कंपनियों का इजारेदार कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा की संभावना व्यावहारिक रूप में समाप्त हो जाती है जो बहुत से क्षेत्रों पर हावी हो चुकी हैं।

सस्ती पूंजी उपलब्ध होने के कारण बड़ी इजारेदार कंपनियों को, अन्य बड़े और मध्यम आकार के पूंजीपतियों की तुलना में बहुत अधिक दर से संवर्धन करना संभव होता है। ये निजी और सार्वजनिक, दोनों क्षेत्रों में विकास के अधिकांश अवसरों को छीन लेते हैं। अर्थव्यवस्था पर उनका दबदबा और बढ़ जाता है।

हाल ही में, टाटा समूह ने अगले पांच वर्षों के लिए कुल मिलाकर 7 लाख करोड़ रुपये से अधिक की निवेश योजनाओं की घोषणा की है।

मुकेश अंबानी के रिलायंस समूह की कुल मिलाकर निवेश योजना 10 लाख करोड़ रुपये की है। यह समूह देश की कुल अक्षय ऊर्जा का पांचवां हिस्सा पैदा करने की योजना बना रहा है और इसके लिए उसने गुजरात की राज्य सरकार से 45,000 एकड़ ज़मीन मांगी है।

अडानी समूह द्वारा सबसे महत्वाकांक्षी विकास योजनाओं की घोषणा की गई है, जो कि अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों में पहले से ही हासिल किए गए प्रभुत्व के आधार पर है। अपनी हाल की वित्तीय समस्याओं से पहले, समूह ने निकट भविष्य में 9.5–11 लाख करोड़ रुपये की निवेश योजनाओं की घोषणा की थी, जिसके कारण ताप बिजली उत्पादन, अक्षय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन ऊर्जा, महामार्ग, तांबा, कोयला खदान, डेटा सेंटर, क्लाउड सेवाएं आदि के क्षेत्रों में इसका हावी होना संभव होता।

उपरोक्त तीन इजारेदार समूहों द्वारा कुल 30 लाख करोड़ रुपये का निवेश देश की सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) के दसवें हिस्से के बराबर है। यह स्पष्ट है कि आने वाले वर्षों में सबसे बड़े इजारेदार, निवेश के माध्यम से अपनी इजारेदारी और दबदबे को अधिक मजबूत करने की तैयारी कर रहे हैं।

निजीकरण कार्यक्रम से भी पूंजी के सकेंद्रण और बाज़ारों में इजारेदारों को मदद मिली है। 2001–02 में जब हिंदुस्तान जिंक का निजीकरण किया गया था तो अनिल अग्रवाल का वेदांता ग्रुप जस्ते (जिंक) का इजारेदार उत्पादक बन गया। उस समूह ने एल्युमीनियम उत्पादन में भी एक प्रमुख स्थान हासिल किया जब सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के भारत एल्युमीनियम कंपनी (बाल्को) को उसे बेच दिया था। इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बिक्री से रिलायंस ने पेट्रोकेमिकल्स में अपनी इजारेदारी को और मजबूत किया। निजीकरण के ज़रिये इजारेदारी को स्थापित करने का सबसे ताजा उदाहरण टाटा समूह को एयर इंडिया की बिक्री है।

बिजली क्षेत्र में अडानी, टाटा, जिंदल और टोरेंट का और दूरसंचार क्षेत्र में अंबानी, भारती मित्तल और बिड़ला की इजारेदारी इन क्षेत्रों को निजी कंपनियों के लिए खोलने का परिणाम है। हवाई अड्डों के क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिये खोलने से अडानी समूह की उस पर इजारेदारी स्थापित हो गयी है।

ऐसा बताया गया था कि दिवाला और दिवालियापन कोड (आई.बी.सी.) से बैंकों को बड़े पूंजीपतियों द्वारा न चुकाये गये अपने डूबे हुए क़र्ज़ों की वसूली में मदद मिलेगी। इसके बजाय आई.बी.सी. ने कुछ सबसे बड़ी इजारेदारी कंपनियों के प्रभुत्व को मजबूत करने में मदद की है। आई.बी.सी. के ज़रिये ये कंपनियां औने–पौने दामों पर संपत्ति ख़रीद सकीं और बैंकों को बड़े "हेयर कट" स्वीकार करने के लिए मजबूर कर सकीं। (हेयर कट का मतलब बैंक द्वारा दिये क़र्ज़ की न चुकाई जाने वाली बकाया राशि है।) टाटा समूह ने आई.बी.सी. नीलामी के माध्यम से भूषण स्टील का अधिग्रहण करके इस्पात क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत की। दुनिया की सबसे बड़ी इस्पात इजारेदारी कंपनियों में से एक, आर्सेलर मित्तल कंपनी ने आई.बी.सी. प्रक्रिया के माध्यम से एस्सार स्टील का अधिग्रहण किया।

पूंजी के अधिकाधिक संकेंद्रण से कुछ बहु–अरबपतियों द्वारा उत्पादन और लेन–देन के साधनों पर नियंत्रण बढ़ जाता है। यह देश के बहुसंख्यक मेहनतकश लोगों के तेज़ हो रहे शोषण को और बढ़ाता है, जिनके श्रम से सारी धन–संपत्ति का निर्माण हुआ है। ऐसी रिपोर्ट है कि नीचे की आधी आबादी के पास कुल संपत्ति का अब सिर्फ 3 प्रतिशत हिस्सा है। दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों में शामिल होने की दौड़ में लगे मुनाफ़े के भूखे थोड़ी संख्या के पूंजीपतियों के द्वारा 135 करोड़ लोगों के भाग्य का फ़ैसला किया जा रहा है।

पूंजी का बढ़ता सकेंद्रण और बाज़ारों तथा कच्चे माल के स्रोतों पर इजारेदारी, पूंजीवाद के स्वाभाविक परिणाम हैं। जैसा कि मार्क्स और लेनिन ने खोजा, पूंजीवाद अनिवार्य रूप से सकेंद्रण और इजारेदारी की ओर ले जाता है। पूंजीवाद अपने शुरुआती प्रतिस्पर्धी चरण से 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ही इजारेदार पूंजीवाद के अपने उच्चतम स्तर तक विकसित हो गया था। अब तक सकेंद्रण और इजारेदारी अत्यधिक परजीवी और विनाशकारी स्तर पर पहुंच गई है।

विशाल इजारेदार कंपनियां अब समाज के सभी पहलुओं को नियंत्रित करती हैं। ये राज्य को भी नियंत्रित करती हैं, जो पूरी तरह से उनके हित में काम करता है। पूंजीपति वर्ग का यह झूठा प्रचार है कि "मुक्त प्रतिस्पर्धा" को बढ़ावा देने के ज़रिये अर्थव्यवस्था का नियंत्रण किया जा सकता है। भ्रष्टाचार और भाई–भतीजावाद के बिना पूंजीवाद संभव है, यह वादा भी एक झूठ है। इजारेदार पूंजीवाद परजीवी है और समाज की प्रगति में रोड़ा है। यह सामाज–विरोधी है।

यह दावा झूठा है कि विकास की ऊंची दर से सभी का कल्याण होगा। ऐसा केवल पूंजीवाद के पक्ष में समर्थन हासिल करने के लिये किया जाता है। अर्थव्यवस्था के विकास की दर के बावजूद, पूंजीवादी विकास अनिवार्य रूप से एक ध्रुव पर कुछ लोगों की अमीरी बढ़ाता है और दूसरे ध्रुव पर बहुसंख्य लोगों की ग़रीबी बढ़ाता है।

केवल पूंजीवाद का ख़ात्मा करने और समाजवाद की ओर बढ़ने से ही बहुसंख्य लोगों के दुखों का अंत होगा। सरकार में किसी भी बदलाव, यानी पूंजीवादी व्यवस्था के प्रबंधन में किसी भी बदलाव से, मेहनतकश जनता की विशाल बहुसंख्या की स्थिति में सुधार नहीं आ सकता, या उनके उत्पीड़न और शोषण को कम नहीं किया जा सकता।

इजारेदार पूंजीपतियों की लालच की पूर्ति के बजाय मानवीय ज़रूरतों की पूर्ति के लिए, उत्पादन के साधनों की सामाजिक मालिकी के तहत सामाजिक उत्पादन, एक अनिवार्य शर्त है।

http://hindi.cgpi.org/23146

उद्योगों में हावी इजारेदारी कंपनियों

शिशु दूध पाउडर	नेस्ले
सिगरेट	आई.टी.सी.
वाटर प्रूफिंग	पिडिलाइट
केश तेल	मैरिको, बजाज
पेंट्स	एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स
खाद्य तेल	मैरिको, अदानी
बिस्कुट	ब्रिटानिया, पार्ले
मोबाइल / डेटा	जियो, एयरटेल
ट्रक	टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड
छोटी कारें	मारुति, हुंडई
पेट्रोकेमिकल्स	रिलायंस
हवाई अड्डे	अदानी
सीमेंट	बिड़ला, अदानी
बिजली क्षेत्र	टाटा, जिंदल, अदानी, टोरेंट

महाराष्ट्र राज्य सरकार के मज़दूरों ने हड़ताल करने की घोषणा की!

केंद्र तथा राज्य सरकारों के कर्मचारियों का पुरानी पेंशन योजना (ओ.पी.एस.) की बहाली के लिए किया जा रहा संघर्ष अधिक एकता और संकल्प के साथ पूरे देश में फैल रहा है। महाराष्ट्र के भी सरकारी, अर्ध–सरकारी, शिक्षक और गैर–शिक्षण कर्मचारियों ने घोषणा की है कि वे 14 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। उनकी कुछ मुख्य मांगें हैं – ओ.पी.एस. की बहाली, अनुबंध पर नियुक्त सभी मज़दूरों का नियमितिकरण किया जाये और सभी खाली पदों पर तुरंत भरती हो। इस संघर्ष के लिए मज़दूरों को इकट्ठा करने के लिए, पूरे राज्य में बैठकें आयोजित की जा रही हैं।

20 फरवरी को मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक सहित महाराष्ट्र के कुछ अन्य स्थानों से 500 से अधिक प्रतिनिधियों ने मुंबई में एक बैठक में भाग लिया। यह बैठक संयुक्त रूप से सेन्ट्रल गवर्नमेंट एम्प्लोईज फेडरेशन, सेन्ट्रल गवर्नमेंट एम्प्लोईज कोऑर्डीनेशन कमेटी, बृहन मुंबई स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लोईज संगठन, गवर्नमेंट–सेमी गवर्नमेंट टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल इंप्लॉईज कोऑर्डीनेशन कमेटी महाराष्ट्र द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की गई थी। शिक्षक भारती तथा शिक्षकों के संगठनों की समन्वय समिति मुंबई, जैसे शिक्षक समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न अन्य संगठनों ने भी अपने प्रतिनिधियों को बैठक में भेजा। महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने अतीत में नगरपालिका के कर्मचारियों को दबाने के लिये बर्बरता से महाराष्ट्र आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम (एम.ई.एस.एम.ए.) का उपयोग किया था। परन्तु, महाराष्ट्र के इन मज़दूरों के कई संगठनों ने पुणे में एक साथ मिलकर इस तरह के किसी भी दबाव की रणनीति को ठुकराने का फ़ैसला किया। नतीजतन, विभिन्न नगरपालिका कर्मचारियों के संगठनों के प्रतिनिधि भी बैठक में शामिल हुये। मीटिंग में भाग लेने वाले सभी संगठनों के वक्ताओं ने सभा को संबोधित किया।

महाराष्ट्र विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान, महाराष्ट्र के उप–मुख्यमंत्री ने बड़े घमंड के साथ घोषणा की थी कि किसी भी परिस्थिति में राज्य सरकार ओ.पी.एस. को पुनर्जीवित नहीं करेगी, क्योंकि इससे राज्य सरकार के वित्तीय खजाने पर एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का "अनुचित बोझ" पड़ेगा। इसके बाद, विधान परिषद के चुनावों में ओ.पी.एस. एक प्रमुख मुद्दा बन गया। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन ने चुनावों में कुछ सीटें खो दीं। उसके तुरंत बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने बहुत जल्दी से घोषणा की कि उनकी सरकार की ओ.पी.एस. की मांग के प्रति सहानुभूति रखती है। मुख्यमंत्री ने एक बीच का रास्ता निकालने का वादा किया।

इन घटनाक्रमों का उल्लेख करते हुए, बैठक में कुछ वक्ताओं ने समझाया कि किस तरह से उप–मुख्यमंत्री ने जानबूझकर आंकड़ों को बढ़ा–चढ़ाकर पेश किया था, और इसका इरादा था ओ.पी.एस. की बहाली की मांग करने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों के ख़िलाफ़ महाराष्ट्र के मेहनतकश लोगों को भड़काना। उन्होंने इस विभाजनकारी रणनीति की निंदा की। कुछ अन्य वक्ताओं ने घोषणा की कि उन्हें मुख्यमंत्री द्वारा "बीच का रास्ता" खोजने के बारे में किए गए वादे से मूर्ख नहीं बनाया जा सकता और ओ.पी.एस. के अलावा हम कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे।

कुछ वक्ताओं ने संसद में प्रधानमंत्री के भाषण का उल्लेख किया, जब उन्होंने राज्य सरकारों को सलाह दी थी कि ओ.पी.एस. की मांग को स्वीकार करने से भविष्य की पीढ़ियों का हित ख़तरे पड़ जाएगा, इसलिए उन्हें यह "महापाप" नहीं करना चाहिये। सरकार के नैतिक अधिकार पर उन्होंने सवाल उठाया, क्योंकि वह एक तरफ कर्मचारियों को सलाह देती है कि वे ओ.पी.एस. की मांग करने से बचें, क्योंकि सरकार के पास उनकी मांग को पूरा करने के लिए कोई पैसा नहीं है, जबकि दूसरी ओर वही सरकार पूंजीपतियों को दिए गए 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक का क़र्ज़ माफ़ कर देती है और इसी प्रकार पहले भी उसने कॉर्पोरेट कर को अभूतपूर्व रूप से कम कर दिया है, जिससे डेढ़ लाख करोड़ रुपये से अधिक का लाभ बड़े कारपोरेटों के लिए सुनिश्चित हुआ है।

वक्ताओं ने कहा कि ओ.पी.एस. के लिए किया जा रहा संघर्ष, अर्थव्यवस्था के उदारीकरण और निजीकरण के ज़रिये वैश्वीकरण की नीतियों के ख़िलाफ़ संघर्ष का हिस्सा है। उन्होंने सभी ठेका मज़दूरों के नियमितिकरण और राज्य व केंद्र सरकार के उद्यमों और विभागों में सत्तर लाख से अधिक खाली पदों को भरने के लिए मज़दूर वर्ग की मांग को भी दोहराया।

बैठक में मज़दूरों की एकता को बनाए रखने और उनकी न्यायपूर्ण मांग के लिए लड़ने के उनके संकल्प के नारे लगाये गये।

कास्ट ट्राइब महासंघ, अखिल भारतीय आदिवासी कर्मचारी महासंघ और स्वास्थ्य विभाग कर्मचरी संघटना जैसे कई अन्य संगठनों ने भी संघर्ष में शामिल होने का संकल्प घोषित किया है। कई संगठनों ने घोषणा की कि वे नागपुर से शुरू होकर 14 मार्च को मुंबई के आज़ाद मैदान में समापन होने वाली एक रैली में शामिल होंगे। यह तय है कि ऐसे एकजुट संघर्ष से राज्य सरकार पर जबरदस्त दबाव आएगा।

"एक तरफ सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली, सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली और सभी मेहनतकश लोगों की सेवा करने वाली अन्य सरकारी योजनाओं में सुधार और दूसरी तरफ मेहनतकश लोगों के 4 प्रतिशत से भी कम सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन के बीच में से चुनें", ऐसा कहकर केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारें, सरकारी कर्मचारियों के ख़िलाफ़ अन्य मेहनतकश लोगों को उकसाने

शेष पृष्ठ 6 पर

सरमायदारों के निजीकरण के कार्यक्रम को एकजुट होकर हराएं

पृष्ठ 1 का शेष

समझौता कर लिया था कि वह एक रणनीतिक उद्योग नहीं था और वह घाटे में चल रहा था। वे मज़दूरों को सलाह दे रहे थे कि उनके लिए वी.आर.एस. पैकेज स्वीकार करके नौकरी छोड़ देना ही बेहतर होगा। ऐसी कठिन परिस्थितियों में मॉडर्न फूड्स के मज़दूरों ने, मज़दूर एकता कमेटी से प्रेरित होकर, बहादुरी के साथ, निजीकरण के ख़िलाफ़ ग़ैर–समझौता वाले संघर्ष का झंडा फहराया था। वह एक ऐसा संघर्ष था जिसने कई क्षेत्रों के मज़दूरों की आंखें खोल दी थीं।

लगातार सात वर्षों तक, जब तक कि अंतिम कर्मचारी को नौकरी से निकाल नहीं दिया गया था, देश में मॉडर्न फूड्स के मुख्य प्लांट, दिल्ली में लॉरेंस रोड स्थित प्लांट के मज़दूरों ने पूरे देश में कंपनी के 3,000 नियमित और ठेका मज़दूरों को निजीकरण के ख़िलाफ़ संघर्ष में एकजुट किया था।

मज़दूर एकता कमेटी ने इस हक़ीक़त का पर्दाफ़ाश किया था कि कैसे मॉडर्न फूड्स, जो कि एक मुनाफ़ाकारी कारोबार हुआ करता था, को जानबूझकर घाटे में डाल दिया गया था, ताकि उसके निजीकरण को सही ठहराया जा सके।

मज़दूर एकता कमेटी और मॉडर्न फूड्स एम्प्लाइज़ यूनियन ने खुलासा किया कि कैसे कंपनी की चल और अचल संपत्ति, जिसकी क़ीमत 2,000 करोड़ रुपये से अधिक थी, बहुराष्ट्रीय कंपनी हिंदुस्तान लीवर को महज 124 करोड़ रुपये में सौंप दी गई। उन्होंने इस झूठ का पर्दाफ़ाश किया कि हिंदुस्तान लीवर कंपनी को "कुशलतापूर्वक" चलाएगा। उन्होंने दिखाया कि कैसे वह बहुराष्ट्रीय कंपनी मॉडर्न फूड्स की संपत्ति छीन रही थी। वह मॉडर्न ब्रेड के ब्रांड नाम का उपयोग करते हुए, अस्वच्छ हालतों में अपने उत्पादन को आउटसोर्स कर रही थी।

मॉडर्न फूड्स के मज़दूरों ने संसद के सामने विरोध प्रदर्शन, संसद के सदस्यों और दिल्ली सरकार से अपील सहित कई तरह के संघर्ष किए। वे क़रीब दो साल तक फैक्ट्री के गेट पर धरने पर बैठे रहे।

मॉडर्न फूड्स के मज़दूरों की मिसाल ने भारत एल्युमीनियम कंपनी (बाल्को) के मज़दूरों और विभिन्न राज्यों में बिजली बोर्ड के कर्मचारियों की ट्रेड यूनियनों को निजीकरण कार्यक्रम के ख़िलाफ़ आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। संघर्ष को गति मिली। उस संघर्ष की वजह से वाजपेयी सरकार निजीकरण के परिणामों की जांच करने के लिए अक्तूबर 2002 में प्रधानमंत्री की एक विशेष समिति गठित करने के लिए मजबूर हुयी थी।

मज़दूर एकता कमेटी और मॉडर्न फूड्स यूनियन ने उस कमेटी को इस बात के दस्तावेज़ी सबूत सौंपे कि किस तरह हिंदुस्तान लीवर प्रबंधन प्लांट और उसकी मशीनरी को ख़त्म कर रहा था, उप–ठेकेदारी का सहारा ले रहा था, नियमित मज़दूरों के स्थान पर ठेका मज़दूरों का उपयोग कर रहा था और सभी श्रम क़ानूनों का उल्लंघन कर रहा था।

जब सितंबर 2004 में विशेष समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी, तो मॉडर्न फूड्स एम्प्लाइज़ यूनियन ने मांग की कि रिपोर्ट को संसद में पेश किया जाए और उस पर चर्चा की जाए। लेकिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली संप्रग सरकार ने उस मांग को पूरा नहीं किया।

मज़दूरों को मूर्ख बनाने के लिए, संप्रग सरकार ने घोषणा की कि अब सार्वजनिक क्षेत्र के कारोबारों की सीधी बिक्री नहीं होगी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ने एक सांझा न्यूनतम कार्यक्रम के आधार पर संप्रग सरकार को समर्थन दिया। उससे मज़दूरों में यह भ्रम फैलाया गया कि केंद्र सरकार अब "मानवीय चेहरे" के साथ पूंजीवादी सुधारों को लागू करेगी। यह भ्रम फैलाया गया कि अब और निजीकरण नहीं होगा। पर वास्तव में, सरकार ने निजीकरण के लिए एक अलग रास्ता अपनाया। सीधी बिक्री के बजाय, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के शेयरों को बेचकर धीरे–धीरे निजीकरण किया गया।

आज, मॉडर्न फूड्स के मज़दूरों द्वारा निजीकरण के ख़िलाफ़ अपना ऐतिहासिक संघर्ष शुरू करने के 23 साल बाद, मज़दूर वर्ग को उस संघर्ष के अनुभव से कुछ महत्वपूर्ण सबक लेने की ज़रूरत है।

एक महत्वपूर्ण सबक यह है कि किसी भी सार्वजनिक कारोबार के निजीकरण का कोई औचित्य नहीं हो सकता है, चाहे वह रणनीतिक मूल्य का "मुख्य" कारोबार हो या "घाटे में चल रहा" हो। सभी मामलों में, निजीकरण केवल मुनाफ़ों के भूखे पूंजीपतियों के हितों को पूरा करता है। निजीकरण को "मानवीय चेहरे" के साथ लागू करना मुमकिन नहीं है। निजीकरण एक मज़दूर–विरोधी और समाज–विरोधी कार्यक्रम है।

एक और महत्वपूर्ण सबक यह है कि निजीकरण किसी ख़ास पार्टी या सरकार की पसंदीदा नीति नहीं है। यह वर्तमान काल में हुक्मरान वर्ग का पसंदीदा कार्यक्रम है। हिन्दोस्तान की स्वतंत्रता के बाद के शुरुआती दशकों में, सरकारी उद्योगों की स्थापना से हमारे देश के बड़े पूंजीपतियों के हितों की सेवा की गयी थी। परन्तु, 1990 के दशक से, बड़े पूंजीपति, जो अब विशाल इजारेदार घराने बन गए हैं, सरकारी संपत्ति को अपनी निजी संपत्ति में बदलने के लिए उत्सुक हैं।

1950, 1960 और 1970 के दशक में, सरकारी भारी उद्योग, सरकारी बैंकों और बीमा कंपनियों के निर्माण और विस्तार की नीति ने पूंजीवादी औद्योगीकरण के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने का काम किया था। उसने पूंजीवाद के लिए घरेलू बाज़ार का विस्तार करने और इजारेदार पूंजीपतियों के लिए अधिकतम मुनाफ़े की गारंटी देने का काम किया था। इस समय, निजीकरण और उदारीकरण के ज़रिये वैश्वीकरण के एजेंडे द्वारा इजारेदार पूंजीवादी घरानों के अधिकतम मुनाफ़ों की लालच को पूरा किया जा रहा है।

बीते 30 से अधिक वर्षों में, सत्ता में आई प्रत्येक सरकार ने उदारीकरण और निजीकरण के ज़रिये वैश्वीकरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। यह सोचना एक हानिकारक भ्रम है कि कांग्रेस पार्टी या किसी अन्य सरमायादारी पार्टी को भाजपा की जगह पर लाकर, निजीकरण को रोका या पलटा जा सकता है।

मज़दूर वर्ग का कार्यक्रम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की पूरी व्यवस्था को, पूंजीवादी लालच को पूरा करने के बजाय, समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य के साथ संचालित करना है। इस कार्यक्रम को साकार करने के लिए सरमायदारों की हुकूमत की जगह पर, मज़दूर–किसान के गठबंधन की हुकूमत स्थापित करने की ज़रूरत है। कम्युनिस्टों को इस उद्देश्य के साथ, निजीकरण के ख़िलाफ़ संघर्ष में मज़दूर वर्ग की अगुवाई करनी चाहिए।

http://hindi.cgpi.org/23108

मज़दूर एकता लहर

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केन्द्रीय कमेटी का अख़बार

RNI No.- 45893/86 Postal Regd. No. DL(S)-01/3177/2021-23

LICENSED TO POST WITHOUT PRE-PAYMENT U (SE)-38/2022-23

Posting Date at DLPSO, 1 & 2 Mar, 2023, Date of publish - 1 Mar, 2023

To

.....

.....

.....

.....

.....

.....

स्वामी लोक आवाज़ पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रिब्यूटर्स के लिये प्रकाशक एवं मुद्रक मधुसूदन कस्तूरी की तरफ से, ई–392 संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020, से प्रकाशित। शुभम इंटरप्राइजेज, 260 प्रकाश मोहल्ला, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली 110065 से मुद्रित। संपादक– मधुसूदन कस्तूरी, ई–392, संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020

email : melpaper@yahoo.com, mazdoorektalehar@gmail.com, Mob. 9810167911

अवितरित होने पर इस पते पर वापस भेजें :

ई–392, संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020

WhatsApp 9868811998

फिलिस्तीन के लोगों पर इस्राइल के हमलों और हिंसा में बढ़ोतरी

इस्राइली राज्य ने इस वर्ष की शुरुआत से ही फिलिस्तीनी लोगों के ख़िलाफ़ अपने अत्याचारों को बहुत तेज़ कर दिया है। एक भी दिन ऐसा नहीं जाता, जब इस्राइली राज्य द्वारा फिलीस्तीनियों के ख़िलाफ़, ख़ासकर, वेस्ट बैंक के इस्राइली क़ब्ज़े वाले क्षेत्रों में और गाजा पट्टी के साथ–साथ, पूर्वी येरुशलम पर छापा मारकर और मिसाइलों के ज़रिये हमले किये जाते हैं। इस्राइली गोलीबारी में बच्चों सहित, दर्जनों फिलिस्तीनी लोग मारे गये हैं। सैकड़ों घर उजाड़ दिए गए हैं, जिनमें रहने वालों के पास, और कहीं जाने का कोई ठिकाना नहीं है। साथ ही साथ, नेतन्याहू की अगुवाई वाली उग्रराष्ट्रवादी गठबंधन सरकार, जो पिछले साल दिसंबर में सत्ता में आई थी, उसने इस्राइली क़ब्ज़े वाले फिलिस्तीनी इलाकों में यहूदियों की कालोनियां स्थापित करने के अभियान को आक्रमकता से आगे बढ़ाया है। इन इलाकों में रहने वाले फिलीस्तीनी लोगों ने इन सभी हमलों का जबरदस्त विरोध किया है।

दुनियाभर में लोगों ने इस्राइली राज्य के बढ़ते अपराधों के ख़िलाफ़ अपना विरोध प्रकट किया है। इस्राइल में भी दसों–हजार लोगों ने इसके ख़िलाफ़ प्रदर्शनों में हिस्सा लिया और अपना विरोध जताया। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने, संयुक्त राष्ट्र के एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच आयोग की सिफ़ारिश को स्वीकार करते हुए दिसंबर 2022 के अंत में एक प्रस्ताव पास किया। इस में इस्राइल द्वारा फिलिस्तीनी ज़मीन पर क़ब्ज़े की अवैधता के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले जाने के लिए कहा गया था। इस्राइली राज्य दुनिया के मंच पर अकेला है, फिर भी वह बड़े घमंड के साथ अपने हमलों को और भी तेज़ी से बढ़ा रहा है, क्योंकि अमरीकी साम्राज्यवाद उसे पूरी तरह से समर्थन देता है। अमरीकी साम्राज्यवाद इस्राइल को लगातार हथियारों से लैस करने में मदद करता रहा है। साथ ही साथ वह अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अन्य देशों द्वारा इस्राइल की कार्रवाइयों की निंदा करने के हर क़दम को रोकने की कोशिश करता है।

तेल–अवीव में इस्राइली सरकार के ख़िलाफ़ विशाल विरोध प्रदर्शन (जनवरी 2023)

सिर्फ़ जनवरी में ही, इस्राइली हमलों और छापेमारी में 8 बच्चों सहित 36 फिलिस्तीन के लोग मारे गए हैं। इस्राइली सेना द्वारा हाल ही में किए गए कुछ नए अपराध हैं :

- 26 जनवरी को जेनिन में शरणार्थी शिविर पर किये गए एक हमले में 9 फिलिस्तीन के लोग मारे गए। उसी दिन, रामल्लाह और पूर्वी येरुशलम में इस्राइली हमलों में 2 अन्य लोग भी मारे गए।
- 5 फरवरी को, अक़ाबत जब्र शरणार्थी शिविर पर एक बड़े हमले में कम से कम 5 फिलिस्तीनी पुरुष मारे गए। इस्राइली अधिकारियों ने इन मृत लोगों के शवों को उनके परिवारों को अभी तक नहीं दिया है।
- 6 फरवरी को नब्लस में छापेमारी के दौरान एक फिलिस्तीनी किशोर के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

1948 में अपनी स्थापना के बाद से ही इस्राइली राज्य एक आक्रामक और विस्तारवादी राज्य रहा है। इसका जन्म एंग्लो–अमरीकी साम्राज्यवाद की साज़िशों का एक अभिन्न हिस्सा था। इसका गठन एंग्लो–अमरीकी साम्राज्यवाद ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, इस तेल–समृद्ध क्षेत्र में अपने हितों की रक्षा के लिए किया था। इस्राइल को फिलिस्तीनी लोगों की ज़मीन पर जबरदस्ती क़ब्ज़ा करके स्थापित किया गया था। इस क्षेत्र में रहने वालों में 70 प्रतिशत से अधिक हिस्सा फिलिस्तीनी लोगों का है, जबकि उन्हें इस क्षेत्र की ज़मीन का 30 प्रतिशत से भी कम दिया गया था। परन्तु वह ज़मीन भी उनकी नहीं रही, क्योंकि शुरू से ही नए इस्राइली सेना ने उन पर आक्रमण किया और उनकी ज़मीनों पर क़ब्ज़ा कर लिया। बाद के दशकों में इस्राइल द्वारा इस क्षेत्र में फिलिस्तीनियों की ज़मीनों पर क़ब्ज़ा करना जारी रखा। नतीजतन, इस समय 15 लाख से अधिक फिलिस्तीनी लोग जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, मिस्र, सऊदी अरब सहित इस इलाके के विभिन्न देशों में शरणार्थियों की तरह अपना जीवन बिताने को मजबूर हैं। जो फिलिस्तीनी लोग इस्राइली क़ब्ज़े वाले क्षेत्रों में रह रहे हैं, उनके घरों के आस–पास स्थापित की गई, चौकियों पर तैनात इस्राइली सशस्त्र बलों द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। फिलिस्तीनी लोगों को सशस्त्र बलों द्वारा उनके घरों में छापेमारी व तोड़फोड़ तथा अपमानजनक तरीक़ों से की जाने वाली तलाशी के ख़तरे का सामना रोज़–रोज़ करना पड़ता है।

फिलीस्तीनी लोगों के ख़िलाफ़ इस्राइली आक्रमकता के प्रमुख पहलुओं में से एक है कि इस्राइली क़ब्ज़े वाले क्षेत्रों में आवासीय कालोनियां बनाने के लिए यहूदी लोगों को उकसाना। इस्राइल का यह क़दम, चौथे जेनेवा कन्वेंशन के अंतर्राष्ट्रीय असूलों का सीधा उल्लंघन है। यह क़ब्ज़ाकारी ताक़त पर अपनी जनसंख्या को क़ब्ज़े वाले क्षेत्र में बसाने से रोकता है। नेतन्याहू सरकार ने अपने इस अभियान को पूरी ताक़त से आगे बढ़ाने की मंशा जाहिर की है। इस समय इस्राइली क़ब्ज़े वाले वेस्ट बैंक और पूर्वी येरुशलम में लगभग 250 ऐसी अवैध आवासीय कॉलोनियां हैं, जिनकी आबादी 6 लाख से भी अधिक है। इन्हें इस्राइली राज्य द्वारा पूर्ण सशस्त्र सुरक्षा प्रदान की जाती है। साथ ही, फिलिस्तीनी लोगों को अपनी ही ज़मीन पर घर बनाने के लिये भी अनुमति लेनी पड़ती है, जो अक्सर नहीं दी जाती है। इन क्षेत्रों में फिलिस्तीनी लोगों के घरों को गिराने के लिए इस्राइली अधिकारी यह बहाना देते हैं कि उनके घर का निर्माण "बिना अनुमति" के किया गया था!

इस बीच, जनवरी में अमरीकी साम्राज्यवाद और इस्राइल ने अभी तक का अपना सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास किया। जिसमें हजारों सैनिकों, विमानों, नौसैनिक जहाजों और तोपों को शामिल किया गया। इन सैन्य अभ्यासों का स्पष्ट उद्देश्य, ईरान को धमकाना है, जिसने स्पष्ट रूप से फिलिस्तीनी लोगों के संघर्ष का समर्थन किया है। ईरान इस क्षेत्र में, अमरीकी साम्राज्यवाद के वर्चस्ववादी मंसूबों को हासिल करने में सबसे बड़ी रुकावट है।

इस्राइली राज्य के लगातार बढ़ते बर्बर अत्याचारों के बावजूद, फिलिस्तीनी लोगों ने अपनी मातृभूमि के अधिकार की हिफ़ाज़त के लिए, इस्राइली आक्रमण के ख़िलाफ़ अपने संघर्ष को आगे बढ़ाना जारी रखा है। उन्हें, इस संघर्ष में हिन्दोस्तानी लोगों और दुनियाभर के सभी न्यायप्रिय लोगों का समर्थन प्राप्त है।

फिलिस्तीनी लोगों का संघर्ष अमर रहे!

http://hindi.cgpi.org/23134

काम की जगह पर सुरक्षा ...

पृष्ठ 3 का शेष

एक नर्स को, दो नर्सों की ड्यूटी निभानी पड़ रही है। सरकार की रिपोर्ट बताती है कि तमिलनाडु स्वास्थ्य विभाग बड़ी संख्या में अनेक परियोजनाओं को लागू कर रहा है, जिसके काम का सारा बोझ मेडिकल स्टाफ, ख़ासकर नर्सों पर आ जाता है। सरकार इस समय संविदा पर कार्यरत सभी नर्सों को नियमित करने की बजाय 11 माह की संविदा की एक नयी योजना लेकर आई है। हालांकि कोर्ट ने समान काम के लिए समान वेतन का आदेश दिया है, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया है। नर्सों का अत्याधिक शोषण जारी है।

कॉमरेड सुबिन ने बताया कि नर्सेज यूनियन नर्सों को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक करने और मज़दूरों की एकता बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है।

इन प्रस्तुतियों के बाद, बैठक में शामिल कई सहभागियों ने अपने विचार और चिंताएं व्यक्त कीं। टी.एन. एम.आर.बी. नर्स वेलफेयर यूनियन की एक नर्स और यूनियन कार्यकर्ता कॉमरेड कला मुरुगेसन ने बताया कि यूनियन में सक्रिय रूप से काम करने वालों को प्रशासन द्वारा विभिन्न तरीक़ों से परेशान किया जाता है। उन्होंने अपना दृढ़ विश्वास व्यक्त किया कि एकता के साथ लड़कर ही नर्सें अपने अधिकारों को जीत सकती हैं।

सी.ओ.आई.टी.यू. नर्सेज यूनियन के कॉमरेड सिंधन ने बताया कि किस तरह मज़दूरों को उनके अपने मूल अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। पूंजीपतियों के ख़िलाफ़ समझौता किए बिना लड़ना ही शोषण को ख़त्म करने का एकमात्र तरीक़ा है। ऑटोमोबाइल उद्योग में काम करने वाले कॉमरेड विनोद ने बताया कि किस तरह पूंजीपति वर्ग मज़दूरों को तरह–तरह से बांट रहा है और हमारी ताक़त को कमजोर कर रहा है। उन्होंने पूंजीपति वर्ग द्वारा पैदा किए जा रहे इन सभी विभाजनों को ख़त्म करने और हमारी अपनी एकता को मजबूत करने के लिए मज़दूर वर्ग के संघर्ष को आगे ले जाने पर ज़ोर दिया।

सभी सहभागियों द्वारा मज़दूरों की एकता को मजबूत करने और मज़दूर–विरोधी क़ानूनों और मज़दूर वर्ग पर अन्य हमलों के ख़िलाफ़ बिना किसी समझौते के संघर्ष करने के संकल्प के साथ बैठक का समापन हुआ।

http://hindi.cgpi.org/23144

महाराष्ट्र के सरकारी कर्मचारी ...

पृष्ठ 5 का शेष

की कोशिश कर रही हैं। इस नापाक प्रचार को चुनौती देने के लिये हमें यह मांग उठानी चाहिये कि सरकार को हमारे देश के सभी मेहनतकश लोगों के लिए एक सर्वव्यापी पेंशन योजना सुनिश्चित करनी चाहिये। इस देश के हम कामकाजी लोग ही तो हैं, जो समाज के सारी धन–संपत्ति का निर्माण करते हैं, इसलिए शासन करने वालों की प्रमुख ज़िम्मेदारी होनी चाहिए कि वे हर प्रौढ़ व्यक्ति के अपने कामकाजी जीवन के दौरान रोज़गार तथा पर्याप्त वेतन सुनिश्चित करें और प्रत्येक सेवानिवृत्त मज़दूर को एक परिभाषित और नियमित पेंशन की गारंटी दें।

http://hindi.cgpi.org/23151